

कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

उपस्थिति:- श्री सुनील कुमार, कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।
 प्रार्थी:- सर्वश्री मैफेयर इण्टर प्राइजेज, जी-23, न्यू मुमताज मार्केट, राम कृष्ण पार्क, लखनऊ
 प्रार्थनापत्र संख्या:- 74/2008
 प्रार्थी की ओर से:- श्री एस0सी0 रस्तोगी, अधिवक्ता फर्म

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री मैफेयर इण्टर प्राइजेज, न्यू मुमताज मार्केट, लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र दिनांक 22-02-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु उल्लिखित है:-

प्रश्न- रोंयेदार तौलिया, बिना रोंयेदार तौलिया, लूंगी एवं गमछे पर कर की दर क्या है ?

2- धारा-59 के प्रार्थनापत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या 861 दिनांक 22-02-2008 से एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 लखनऊ जोन, लखनऊ से आख्या माँगी गयी थी, जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुई है।

3- व्यापारी की ओर से श्री एस0सी0 रस्तोगी, अधिवक्ता उपस्थित हुये। उन्होंने तर्क किया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या -3121 दिनांक 24-12-2007 एवं विज्ञप्ति संख्या- 67 दिनांक 10-01-2008 की अनुसूची-1 के क्रमांक-21 में हैण्डलूम से निर्मित वस्तुओं को करमुक्त किया गया है, जब कि अनुसूची-2 के क्रमांक-16 पर बेड शीट, पिलोकर और अन्य टैक्सटाइल मेड अप पर 4% की दर से कर आरोपित किया गया है। उन्होंने तर्क किया कि टैक्सटाइल मेड अप में कौन- कौन सी वस्तुयें आयेगी, यह स्पष्ट नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि जिस कपड़े पर कोई सिलाई नहीं की जाती है, उसे टैक्सटाइल/फैब्रिक मानते हुये करमुक्त होना चाहिए। उन्होंने मेड अप को परिभाषित किये जाने की भी प्रार्थना की।

4- मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत टैक्सटाइल / फैब्रिक पर कोई कर दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है। जहाँ तक टैक्सटाइल की परिभाषा का सम्बन्ध है, मिनिस्ट्री आफ कामर्स की वेबसाइट से खोज करने पर एवं एनसाइक्लोपीडिया से टैक्सटाइल की निम्न परिभाषा स्पष्ट होती है:-

A textile is a flexible material comprised of a network of natural or artificial fibers often referred to as thread or yarn. Yarn is produced by spinning raw wool fibers, linen, cotton or other material on a spinning wheel to produce long strands known as yarn [1] Textiles are formed by weaving, knitting, crocheting, knotting, or pressing fibers together (felt).

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार वीविंग, निटिंग आदि प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप टैक्सटाइल का निर्माण होता है जिस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कोई करदेयता नहीं है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या -3121 दिनांक 24-12-2007 एवं विज्ञप्ति संख्या- 67 दिनांक 10-01-2008 का सम्बन्ध है, इनकी अनुसूची-1 के क्रमांक-21 एवं अनुसूची -2 के भाग-क के क्रमांक-16 की प्रविष्टियाँ निम्नप्रकार से हैं:-

21	Handloom cloth of all kinds; handloom durries; handloom shawls & lois whether plain, printed, dyed or embroidered.
----	--

16	Bed sheet, pillow cover & other textile made ups excluding those made on handloom.
----	--

क्रमांक-21 की प्रविष्टि एकदम स्पष्ट है, जिसके अनुसार हैण्डलूम पर निर्मित कपड़ा, दरियाँ, शाल और लोही चाहे प्लेन हो, छपी हो अथवा कढ़ाई की हुयी हो, करमुक्त रहेगी। जहाँ तक अनुसूची-2 के क्रमांक-16 की प्रविष्टि का सम्बन्ध है, इसके अनुसार बेडशीट, पिलो कवर एवं अन्य प्रकार के टैक्सटाइल मेड अप पर 4% का करदायित्व होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि टैक्सटाइल मेड अप किसे कहा जायेगा। टैक्सटाइल से जिन वस्तुओं के बनाने में किसी प्रकार की कोई सिलाई नहीं की गयी हो, उन्हें टैक्सटाइल मेड अप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, सूटिंग एवं शर्टिंग्स के कपड़े एवं बिना रोंयेदार तौलिया। इन वस्तुओं पर किसी प्रकार की कोई सिलाई नहीं होती है। अतः यह वस्तुयें टैक्सटाइल / फैब्रिक की श्रेणी में आयेगी और करमुक्त रहेगी। जहाँ तक टैक्सटाइल मेड अप की परिभाषा का सम्बन्ध है, मिनिस्ट्री आफ कामर्स की वेबसाइट से

खोज करने पर टैक्सटाइल मेड अप को निम्न विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक श्रेणी में कौन कौन सी वस्तुयें आयेगी उन्हें भी निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है:-

S.N.	Main Heading	Items
1	Bed Linen	Sheet Sets, Bed Covers, Bed Skirts, Bed Ruffles, Bed Spreads, Watered Sets, Quilt Covers, Pillow Covers, Pillow Shams, Pillow Ticking.
2	Curtains	Rod Valances, Comforters, Curtains, Floor Cushion, Embroidery Cushion.
3	Toilet Linen	Terry Towels and Bathrobes, Face Towels, Hand Towels, Bath Towels, Kitchen Towels, Beach Towels, Bath Mats, Bathrobes, Shop Towels, Waffle Kitchen Towels, Diaper Cloth, Yellow Duster
4	Table Linen	Trolley Sets (5-Design), Mats (Large, Small), Ticozi (Large, Small), Tea Pot Mats (Round), Pot Mats, Napkins, Individual Set, Table cover, Mix coffee cover, Blender cover, Toaster Oven Cover
5	Kitchen Linen	Apron Set (Large)-- (4-Designs), Apron, Oven Gloves, Pot Holder Mats, Table Round Cover (Place Mats), Apron Set (Small), Apron, Oven Gloves, Pot Holder, Bread Cover, Bread Cover (Large), Bread Cover (Small), Toaster Cover, Toaster Cover(Large), Toaster Cover(Small), Toaster Cover(Medium),
6	Clothing Accessories	Scarfs, stoles, handker chiefs, neckties, brassieres, girdles etc.
7	Other made ups	Shopping bags, Designer bags, Cushion cover, Chair pad.
8	Other Furnishing Articles	Carpets, Durries.

उपरोक्त वर्णित सभी वस्तुयें जो कि टैक्सटाइल मेड अप के अन्तर्गत आती है एवं बेडशीट,पिलोकवर पर कर की दर 4% होगी।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि रोयेदार तौलिया टैक्सटाइल मेड अप की श्रेणी में आती है, जिस पर कर की दर 4% होगी, जब कि बिना रोयेदार तौलिया, लुंगी और गमछा जिन पर कोई सिलाई नहीं की गयी हो, करमुक्त रहेगी।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थनापत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्णायक अधिकारी को सम्बन्धित कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक-24 फरवरी, 2008

(सुनील कुमार)
कमिशनर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।

प्रमाणित प्रतिलिपि